न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 08/2024 (GCMS C.N. 2025/83)

आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

	उनवान
1. सुगना देवी पत्नी देवीलाल बनाम ढोली निवासी करेडा जिला भीलवाड़ा	1. भंवर लाल पिता नेनुराम रेगर निवासी करेडा 2. शंकर पिता भैरू गुर्जर नि0 मसानी मगरी करेडा 3. रूपा पिता भैरू गुर्जर नि0 मसानी मगरी करेडा 4. उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा 5. तहसीलदार करेडा
—प्रार्थी	—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. श्री प्रकाश देवानी, प्रार्थी अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, विपक्षी 4 व 5 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 15/04/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम करेडा पटवार क्षेत्र करेडा भू अभिलेख करेडा में विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता भैरू पिता गुलाब गुर्जर निवासी करेडा को आराजी संख्या 9000/3731 रकबा 0.3794 हैक्टेयर किस्म बारानी थर्ड भूमि दिनांक 26—06—1989 को अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से आवंटित की गई है, जो निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता जो कि कभी मौके पर जमीन पर नही आया तथा पूर्व में जिस व्यक्ति के नाम पर भूमि आवंटित हुई थी वो भी मौके पर आकर कब्जा काश्त नहीं की है। जमीन अलोटमेन्ट समय से पूर्व से ही प्रार्थीया के कब्जे काश्त में है। मौके पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है वही पर मैं निवास करती हूँ तथा मेरे परिवार का भरण पोषण भी वही होता है। विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुए अपने नाम पर आवंटन करा दिया जबकि मौके पर ना तो उनका

15.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कब्जा काश्त था ना ही कभी वह उक्त जमीन पर आये। जबकि नियमानुसार मौके पर आवंटी का कब्जा होना जरूरी है तथा उसको 91 की कार्यवाही होना जरूरी है किन्तु राजस्व कर्मचारियो की मिलीभगती से केवल आवंटन फार्म पर गलत सूचना के आधार पर विपक्षी संख्या 2 व 3 के पूर्वज के नाम पर गलत रूप से आवंटन हुआ। रिपोर्ट पटवारी करेडा जो आवंटन पत्रावली के अन्दर दर्ज है उस पर मौके पर पटवारी साहब, गिरदावर साहब, इनके हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं है क्योंकि ये मौके पर जाकर आवंटी की मौका स्थल नही देखी और केवल ऑफिस में बैठ कर ही मौका रिपोर्ट बनवा दी। इतने वर्षों तक विपक्षी संख्या 2 व 3 के पूर्वज या उनके वारिस कभी मौके पर नही आये तथा कभी मौके पर नही आये तथा केवल राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता भैरू पिता गुलाब गुर्जर ने कागजी तौर पर विपक्षी संख्या 1 भंवर लाल पिता नेनूराम रेगर के नाम पर जमीन को विक्रय कर दिया जो कि गलत है निरस्तनीय योग्य है। जिसका नामान्तरण दिनांक 05–07–2006 को खुला। इतने वर्षों तक जमीन पर कब्जा नहीं होने के कारण तथा उसके द्वारा उपज ना बोने के कारण उक्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है जबकि मौके पर मुझ प्रार्थीया को प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत उक्त जमीन पर सरकार द्वारा मकान बनाने का चयन हुआ है तथा मैने मकान भी बना रखा है उसी पर मैं परिवार सहित रह रही हूँ। पास में ही अन्य धर्मशाला का निर्माण किया हुआ है। विपक्षी संख्या 1 यह जानते हुए कि उक्त जमीन पर इतने सालो से प्रार्थीया का कब्जा है तथा वो यही पर मकान बनाकर रह रही है तथा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत उसे रूपये भी यही पास हुए है तो उसने अनरगल आरोप लगाकर राजस्व कर्मचारियो से मिलाभगती कर मुझे उक्त जमीन से बेदखल करना चाहता है जबकि इतने वर्षों से कब्जा काश्त नही होने के कारण उक्त जमीन को बिलानाम घोषित किया जाता है किन्तु राजस्व कर्मचारियो की मिलीभगती से अभी तक विपक्षी संख्या 1 की जमीन का निरस्त नही किया है विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता के नाम से जारी किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही गलत था जो निरस्त करने योग्य है। क्योंकि मौका रिपोर्ट इसमे उपलब्ध नही है तथा आसपास के गवाहो के साईन नही है, मौका निरीक्षण नही किया गया है, जिस पर हमारा कब्जा काश्त था। कही पर भी पटवारी, गिरदावर ने मौका जानकारी नहीं दी तथा किसी गवाह के साईन भी नही कराये। अभी भी वर्तमान में मुझ प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा आंवटन जारी करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना नही की गयी है ना ही आंवटन बाबत आम सूचना जारी की गयी है। विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता ने जिस जगह का पट्टा जारी करवाया है उस पर कब्जा होने बाबत कोई भी दस्तावेज पेश नही किये है। कुछ दिनो पूर्व विपक्षी संख्या 1 मेरी उक्त जमीन पर कब्जा करने की नियत से आया और लडाई झगडा कर मेरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और मुझे कहा कि उक्त जमीन उसने विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता से खरीद ली है और विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता के नाम पर उक्त भूमि विपक्षी संख्या 4 द्वारा आवंटित की गयी है। जिस पर मैने अपने अधिवक्ता से मिलकर उक्त आवंटन पत्रावली की प्रतियों प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो जो दिनांक 22–12–2023 को प्राप्त हुई जिससे उक्त प्रार्थनापत्र होने जानकारी से अन्दर अवधि पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 26–06–1989 पत्रावली संख्या 3198/89 को

15.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निरस्त फरमाया जावे भूमि आवंटित किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही अपास्त फरमाई जावे एवं प्रार्थीया को उक्त आराजी नम्बर आराजी संख्या 9000/3731 रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि का आवंटन / नियमन किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रति प्रेषित किया जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित कथन को दौहराया गया एवं प्रश्नगत आवंटन की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है व खातेदारी उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल को पंजीकृत बयनामे द्वारा बेचान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र 14(4) सारहीन होने के कारण अस्वीकार योग्य ठहरता है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण आधारहीन, सारहीन व मियाद बाहर होकर अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा व तहसीलदार करेडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.4.26

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा